यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर

पीठासीन अधिकारी – श्री अमीलाल यादव R.A.S.

न. मु. 08 / 2023

1 श्रीमती मैना पत्नि भूराराम जाति जाट निवासी चाड़वास तहसील बीदासर जिला–चूरू राजस्थान।

प्रार्थीया

बनाम

1 नत्थूराम पुत्र सदाराम जाति जाट निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू सजस्थान

अप्रार्थीगण

3 तिलोकाराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू
4 भूराराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू
5 पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र

उपस्थित –

1 श्री गोरधन चौधरी, राजकुमार ढ़ाका एडवोकेट वास्ते प्रार्थीया
2 श्री मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद आमीन शेख एडवोकेट वास्ते अप्रार्थी सख्या 1
3 पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :– 28-5-25

प्रकरण प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमान् जी 1. मै आपके उपखण्ड में भूमि धारण कर रहे खातेदार, अधिकारी है और हम हमारी कृषि जोत में पहूंच के प्रयोजन के लिए विधमान नये मार्ग का आशय रखते है इसलिए हम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम सख्या 03) की धारा 251क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन करते है। 2. यह कि अपेक्षित विशिष्टया निम्नानुसार है :– आवेदक का नाम, पति / पिता का नाम श्रीमती मैना पत्नि भूराराम जाति जाट निवासी चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.) आवेदक का नाम श्रीमती मैना पत्नि भूराराम जाति जाट निवासी चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)

लगातार.......2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

.. विशिष्टया जिसके लिए आवेदन किया है (क) उपखण्ड का नाम मय ग्राम का नाम जिसमें जोत स्थित है रोही ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.) (ख) वीघा हैक्टेयर में क्षेत्रफल सहित खसरा नम्बर खसरा नम्बर 245 तादादी 8.0431 हैक्टेयर रोही ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान। अन्य खातेदारो की जोत की विशिष्टयां जिनमें अपेक्षित विधमान मार्ग के नये मार्ग का आशय रखता है खेत खसरा नम्बर 243 तादादी 0.6071 हैक्टेयर चाड़वास तहसील बीदासर राजस्थान 5. (क) व (ख) का नाम पता 1. नत्थूराम पुत्र सदाराम जाति जाट निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू 2. राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राजस्थान 3. तिलोकाराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू 4. भूराराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू 5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू (ग) उपखण्ड का नाम सहित ग्राम का नाम जिसमें भूमि स्थित है रोही ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू (ग) बीघा/हैक्टेयर में क्षेत्रफल सहित –

खेत खसरा नम्बर 245 तादादी 8.0431 हैक्टेयर वाके चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू प्रार्थीनी एवं गौण अप्रार्थीगण सख्या 3 व 4 खातेदारी, कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का स्थित है। प्रार्थीनी एवं गौण अप्रार्थीगण के कब्जा उपयोग उपभोग के खेत खसरा नमबर 245 8.0431 वाके रोही चाड़वास में आवागमन का रास्ता गैर मुमकिन कटाणी रास्ता गोपालपुरा से चाड़वास में से जनरी नक्शा में दर्शित मार्क स्थान से फंटकर अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 342 की दक्षिणी सींव के पास पास होकर 2 गट्ठा यानि 16 फुट 6 इंच चौड़ा रास्ता चलकर नक्शे में मार्क "क" स्थान से प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 245 मे प्रवेश करता जो नजरी नक्शा में मार्क क स्थान से फंटकर अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 243 के दक्षिण सींव के पास चलता है मार्क क स्थान पर अप्रार्थी ने खाई लगा कर डोला देकर दिनांक 29.12.2022 को बन्द कर दिया उक्त रास्ता प्रार्थीनी एवं गौण अप्रार्थीगण परिवारजन पशुधन उंटगाड़ा, ट्रेक्टर ट्रोली सहित निर्बाध रूप से आवागमन का एकमात्र रास्ता यही है इसके अलावा प्रार्थीनी एवं गौण अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 245 में आवागमन का और कोई रास्ता मौके पर मौज़ूद नहीं है वादगत रास्ता 16 फुट 6 इंच चौड़ा है प्रार्थीनी एवं गौण अप्रार्थीगण के खेत खसरा नमबर 245 में आवागमन का यही रास्ता है प्रार्थीनी एवं गौण अप्रार्थीगण उक्त रास्ता से अपने खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा नम्बर 245 में आवागमन करने की कानूनी अधिकारी है अप्रार्थी ने अपने खेत खसरा नम्बर 243 की दक्षिणी सीव के पास पास चलने वाले रास्ता के ग्राम गोपालपुरा से ग्राम चाड़वास मार्क "क" स्थान पर खाई देकर मिट्टी डोला देकर बाड़ करके अवरूद्ध कर दिया। वर्तमान में खसरा नम्बर 245 में रास्ता बन्द है उक्त रास्ता प्रार्थीनी एव गौण अप्रार्थीगण को उसके खेत खसरा नम्बर 245 में आवागमन के एकमात्र रास्ता को मार्क क स्थान पर खाई व मिट्टी का डोला एचवं बाड़ करके अवरूद्ध कर दिया है वर्तमान में प्रार्थीनी के खेत खसरा नम्बर 245 में आवागमन का रास्ता बन्द है उक्त रास्ता से प्रार्थीनी अपने खेत में आवागमन के उपयोग में आने वाला रास्ता है प्रार्थीनी के खेत में जाने के लिए और कोई दुसरा कटाणी या गैर कटाणी रास्ता नहीं है रास्ता बन्द होने से प्रार्थीनी का आवागमन बाधित हो चुका है जिसकी वजह से प्रार्थीनी अपने खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा नम्बर 245 में आवागमन नहीं कर पा रही है प्रार्थीनी दिनांक 29.12.2022 को वादगत रास्ते से अपने खेत में जाने लगी तो अप्रार्थी ने प्रार्थीनी को

लगातार.......3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उसके खेत खसरा नम्बर 245 में सदामद रास्ते से जाने नहीं दिया और गाली गलौच करके झगड़ा फसाद पर उतारू हो गया। अप्रार्थी एवं उसके परिवारजनों ने दिनांक 29.12.2022 को नाजायज रूप से खेत खसरा नम्बर 243 में से नजरी नक्शा में मार्क क स्थान से फंटता है वहां पर खाई मिट्टी का डोला लगा कर बाड़ करके रास्ता अवरूद्ध कर दिया। प्रार्थीनी को उसके खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग के खेत खसरा नम्बर 245 में आने जाने से वंचित कर दिया है जिससे प्रार्थीनी अपने खातेदारी व कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा नम्बर 245 में आ जा नहीं पा रही है जिससे प्रार्थीनी को भंयकर अपूर्तीय क्षति हो रही है प्रार्थीनी के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग के खेत में आने जाने का एकमात्र रास्ता यही है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है अप्रार्थी ने आवागमन के रास्ता को रोक देने के बाद प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 29.12.2022 को रोक देने के बाद अप्रार्थी को मौखिक रूप से निवेदन पर भी अप्रार्थी ने रांस्ता खोलने से इन्कार कर दिया इसलिए प्रार्थीनी के लिए आवश्यक हो गया है कि वोह अपने खेत/जोत में काश्त करने व खेत में आवागमन करने व फसल लाटने के लिए टैक्टर, उंटगाड़ा आदि लाने व ले जाने में भारी असुविधा हो रही है जिससे प्रार्थीनी के खेत में आवागमन का एकमात्र रास्ता खोला नहीं गया तो प्रार्थीनी अपने खेत को काश्त नहीं कर पायेगी। जिससे प्रार्थीनी को भारी आर्थिक नुकशान उठाना पडेगा क्योकि प्रार्थीनी के खेत के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी द्वारा 251 (क) (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के राजस्व रेकार्ड में कटाणी रास्ता अंकित करवाने हेतू प्रार्थीनी अपनी जोत के लिए दक्षिण में विधमान रास्ता 2 गठ्ठा चौड़ा को खुलवाने के लिए अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ता में कटने वाली भूमि एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डी.एल.सी. शुल्क के मुताबिक रास्ता में चलने वाली भूमि का मुआवजा अदा करने को तैयार है प्रार्थीनी के खेत खसरा नम्बर 245 में अपने परिवारजन पशुधन उंटगाड़ा ट्रेक्टर आदि के आवागमन के लिए खुलवाने के लिए एवं राजस्व एक्स में कटाणी रास्ता अंकित करवाने के लिए यह आवेदन कर रही है आदि आदि प्रस्तुत किया।

प्रार्थना पत्र दिनांक 01/02/2023 को प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पेशी दिनांक 15.05.2024 को वकील प्रार्थी अनुपस्थित, अप्रार्थी सख्या 01 की और से श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार बीदासर से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, शेष अप्रार्थीगण की तलबी राष्ट्रीय अखबार में प्रकाशित करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार बीदासर से वांछित मौका रिपोर्ट प्राप्त। गौण अप्रार्थी सख्या 4 की और से श्री रामकिशन देडू एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत। गौण अप्रार्थी स. 3 की विधिवत तामील के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। मौका जांच रिपोर्ट उपरान्त जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सख्या 01 की और से प्रस्तुत। प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 5.5.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत, जिसका अप्रार्थी द्वारा जवाब नहीं देना जाहिर किया गया, अप्रार्थी स. 01 के अधिवक्ता द्वारा फहरिस्त फार्म के साथ दस्तावेज गिरदावरीया, फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये। मूल प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्तागण की सुनी गई।

लगातार.........4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हूए निवेदन किया की प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 245 के कोई रास्ता नहीं है, अप्रार्थी सख्या 01 ने गिरदवार से मिलीभगत कर गलत रिपोर्ट बनवाई है आवेदित रास्ता पर रास्ता आवेदन के दिन झोपड़ा नहीं था, यदि आवेदित रास्ता पर झोपड़ा होता तो अप्रार्थी द्वारा दिये गये जवाब प्रार्थना पत्र में अंकन होता तथा मौका जांच के वक्त प्रार्थीया को सूचित नहीं किया, मौका जांच रिपोर्ट में वर्णित मदों का खण्डन करते हूए रिपोर्ट मिलीभगत से तैयार करने का आरोप राजस्व कर्मचारीयों पर लगाया, प्रार्थी सदामद से ही अप्रार्थी सख्या 01 के खेत की दक्षिणी सींव के चिपता चिपता प्रवेश कर आवागमन करता है आदि निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी सख्या 01 ने दौराने बहस प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के पेज सख्या 3 की मद सैकेण्ड (ग) में वर्णित तथ्यों को दौहराते हूए निवेदन किया कि प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र में आवेदित रास्ता पूर्व का चालू होना तथा तथाकथित दिनांक 29.12.2022 को अप्रार्थी द्वारा बन्द किया जाने का अंकन एवं इसी तथाकथित दिनांक 29.12.2022 को रास्ता रोक देने के बाद रास्ता खोलने के निवेदन पर इन्कारी का अंकन हस्तगत प्रार्थना पत्र से अनुतोष प्राप्त करने की श्रैणी में नहीं आने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है, अधिवक्ता अप्रार्थी ने मौका रिपोर्ट में अंकित तथ्यो का वाचन करते हूए निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा आवेदित स्थान पर अप्रार्थी की पुख्ता रिहायसी ढ़ाणी झोपड़ा बना हुआ है, प्रार्थी के पूर्वी तरफ चिपता एवं अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 243 के दक्षिणी तरफ चिपते खसरे के पूर्वी तरफ स्थित कंटाणी ग्रेवल मार्ग की दूरी प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 245 की दक्षिणी पूर्वी सीवं से कम है प्रार्थीया को हस्तगत प्रार्थना पत्र से नया मार्ग खसरा नम्बर 244 में से लेना चाहीए, मौका जांच रिपोर्ट एवं फर्द नक्शा में अंकन अनुसार खेत खसरा नम्बर 245 के दक्षिणी पूर्वी कून्ट के कटाणी मार्ग नजदीक कम दूरी में लगता है। प्रार्थीया के वर्तमान में वैकल्पिक मार्ग लगता है जिससे होकर प्रार्थीया आवागमन करती है, अधिवक्ता अप्रार्थी सख्या 1 नें दौराने बहस प्रस्तुत गिरदावरीयों एवं फोटोग्राफ का अवलोकन करवाते हूए निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा हस्तगत आवेदन करने के बाद लगातार अपना खातेदारी भूमि खेत कृषि यन्त्र, वाहन, पंशुधन ले जाकर काश्त किया जा रहा है यदि प्रार्थीया के कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होता तो प्रार्थीया अपना खेत काश्त नहीं कर पाती तथा निवेदन किया कि मौका जांच रिपोर्ट अनुसार पड़ौसीयो की पुछताछ से साबित है कि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी के खेत में से कभी आवागमन नहीं किया गया। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी को नाजायज तंग परेशान करने, नाजायज खर्चो से जैरकार करने की नियत से उक्त वेग और आधारहीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, प्रार्थीया हस्तगत प्रार्थना पत्र से अप्रार्थी के खेत में से रास्ता लेने की हकदार नहीं है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाये।

बहस अधिवक्तागण की सुनी गई, पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, नजरी नक्शा एवं अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज गिरदावरीयों, प्रस्तुत मौका के फोटोग्राफ्स, तहसीलदार बीदासर की मौका रिपोर्ट, नक्शा का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहन परिशीलन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर

लगातार.....5 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

बीदासर जिला-चूरू

...के आवागमन का रास्ता खसरा नम्बर 243 के दक्षिणी सींव के पास-पास से सदामद का रहा है जिसको 29.12.2022 को बन्द कर देना एवं रास्ता खोलने से अप्रार्थी की इन्कारी से हस्तगत प्रार्थना पत्र 251(क)(1) की प्रकृति का प्रतीत नहीं होता है, प्रकरण 251 का ही बनता है दस्तावेजों के प्रत्युतर में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं समर्थन में प्रस्तुत गिरदावरीयों, फोटोग्राफ एवं मौका रिपोर्ट, नक्शा से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का कोई प्रमाण प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुआ है। प्रार्थीया ने अपने प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र धारा 251(क)(1) में यह स्वयं माना है कि प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 245 में जाने के लिए सदामद के रास्ते को अप्रार्थी व उनके परिजनों ने रोककर अवरूद्ध कर दिया है एवं प्रार्थीनी के खेत खसरा नम्बर 245 में अपने पशुधन, ट्रैक्टर आदि के आवागमन के लिए बन्द रास्ता खुलवाने एवं राजस्व एक्श में कटाणी रास्ता अंकित करवाने का अनुतोष चाह रही है जिससे उक्त प्रकरण आर. टी. एक्ट की धारा 251 का प्रतीत होता है जो कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर का है। प्रार्थीया का प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र आर. टी. एक्ट की धारा 251(क)(1) का नहीं होने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क)(1) के अन्तर्गत नहीं आने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनाक 28-5-24 को सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

अमीलाल यादव
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू